राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stp.lsg@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : **F.59 STP/DLB/सामान्य आदेश (862)/20/815** दिनांक :– 22.06.2020

## आदेश

नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 08.06.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रावधित किया गया है कि राज्य के कुछ शहरों के मास्टर प्लानों में प्रस्तावित प्ररिधि नियंत्रण पट्टी में जनोपयोगी सुविधायें यथा सीवरेज ट्रीटमेंन्ट प्लान, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बॉयोमेडिकल वेस्ट, ई–वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल व ग्रिड सब–स्टेशन इत्यादि अनुज्ञेय है परन्तु कुछ शहरों के मास्टर प्लानों में परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय की जा सकने वाली इन जनोपयोगी सुविधाओं का वर्णन नहीं किया गया है, जिसके कारण भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपनाई जाती है। अतः समस्त शहरों के मास्टर प्लानों में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं, वेयर हाउस एवं गोदाम, जनोपयोगी सुविधायें यथा–सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बॉयोमेडिकल वेस्ट, ई–वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल, ग्रिड सब–स्टेशन, पम्पिंग स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, पुलिस चौकी/थाना इत्यादि सुविधायें अनुज्ञेय होगी एवं इसके लिए भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यक्ता नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य जनसुविधाओं से संबंधित गतिविधियों के लिये प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होंगी।

अतः समस्त नगरीय निकायों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग के आदेश के अनुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

**संलग्नः–उपरोक्तानुसार**

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एव संयुक्त सचिव

क्रमांक : **F.59 STP/DLB/सामान्य आदेश (862)/20/ 816–824** दिनांक :– 22.06.2020

**प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थः–**

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी।
4. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर /जोधपुर /कोटा/अजमेर /उदयपुर/ भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करे।
7. आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका समस्त।
8. CMAR को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System Analyst cum Joint Director. DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(शशिकान्त)
वरिष्ठ नगर नियोजक

F/W 120620104

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कार्यालय शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी नं. 833
दिनांक 11/6/20

क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 8 JUN 2020

## आदेश

राज्य के कुछ शहरो के मास्टर प्लानो में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी में जनोपयोगी सुविधायें यथा सीवजरेज ट्रीटमेंन्ट प्लान, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बॉयोमेडिकल वेस्ट, ई–वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल व ग्रिड सब–स्टेशन इत्यादि अनुज्ञेय है परन्तु कुछ शहरो के मास्टर प्लानों में परिधि नियंत्रण पटटी में अनुज्ञेय की जा सकने वाली इन जनोपयोगी सुविधाओं का वर्णन नही किया गया है, जिसके कारण भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अतः समस्त शहरो के मास्टर प्लानो में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं, वेयर हाउस एवम गोदाम, जनोपयोगी सुविधायें यथा–सीवजरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बॉयोमेडिकल वेस्ट, ई–वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल, ग्रिड सब–स्टेशन, पम्पिंग स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, पुलिस चौकी/थाना इत्यादि सुविधायें अनुज्ञेय होगी एवं इसके लिए भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य जनसुविधाओं से संबंधित गतिविधियों के लिये प्रकरणो में राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।

DLB

10/6/2020 E 11/6

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल) 2020
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

STP

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग,जयपुर
7. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर)।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
9. संबंधित जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ/उप नगर नियोजक समस्त, राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम